

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

198

/ ३१.२ / २००३ - २००४

मध्य प्रदेश शासन

आवेदक

बनाम

१. राजस्व भूमि नं १६

ताया. नं. जग. चतुरपुर (म.प्र.)

निवासी. छतुरपुर (म.प्र.)

— अनावेदक



आदेश

(पारित दिनांक १०/२/२००४)

राजस्व निरीक्षक एवं अधीक्षक भू व्यपर्वतन के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। ग्राम/नगर छोटा की भूमि सर्वे नं. १७८९/३ भै. रकवा ०.०४४८। हैक्टर को अनावेदक द्वारा वगैर सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु व्यपर्वतन कर लिया गया है। पुर्णनिर्धारण किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया है तथा उक्त भूमि पर प्रीमियम रु. २२३५=०० एवं वार्षिक भू-भाटक १४६८=८० रुपया प्रस्तावित किया गया है।

2— अनावेदक को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया उसने न्यायालय में उपस्थित होकर कण्डिका एक में उल्लिखित भूमि का अवैध रूप से व्यपर्वतन किया जाना स्वीकार किया है।

3— अतः अनावेदक द्वारा कृषि भूमि खसरा नगर १७८९/३ भै. रकवा ०.०४४८। स्थित ग्राम छोटा का उपयोग कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु परिवर्तित करने के कारण म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (2) के अनुसार रूपया १४६९=०० वार्षिक भू-भाटक को वर्ष ०३-०५ से देय होगा। निर्धारण करते हुए संहिता की धारा 59 (5) के अन्तर्गत २२३५=०० रुपया प्रीमियम आरोपित किया जाता है।

4— अनावेदक द्वारा प्रश्नगत भू-खण्ड के संबंध में संहिता की धारा 172 (1) के अन्तर्गत विहित प्रति पूर्तिया न करने से अनुज्ञा की पात्रता नहीं पाई जाती है।



मध्य प्रदेश

प्रदेशीय अधिकारी

छतरपुर (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी

छतरपुर

जिला छतरपुर (म.प्र.)

नायब तहसीलदार
तहसील छतरपुर (म.प्र.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

२६३ /अ-२/.....मा २००३ - २००४

मध्य प्रदेश शासन

आवेदक

बनाम

1. श्री रामराज सिंह

तनय श्री जगन्नाथ सिंह

निवासी इकरपुर

- अनावेदक



आदेश

(पारित दिनांक १७/३/२००४)

राजस्व निरीक्षक एवं अधीक्षक भू व्यपर्तन के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। ग्राम/नगर वर्गीता की भूमि सर्वे नं. १७८९/३ में से रकवा ०.०४४

हैकटयर को अनावेदक द्वारा वगैर सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु व्यपर्तन कर लिया गया है। पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया है तथा उक्त भूमि पर प्रीमियम रु. ९२३५/- एवं वार्षिक भू-भाटक १४६८-८० रुपया प्रस्तावित किया गया है।

2- अनावेदक को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया उसने न्यायालय में उपस्थित होकर कण्डिका एक में उल्लिखित भूमि का अवैध रूप से व्यपर्तन किया जाना स्वीकार किया है।

3- अतः अनावेदक द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर १७८९/३ में से रकवा ०.०४४ रुपया स्थित ग्राम वर्गीता का उपयोग कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु परिवर्तित करने के कारण म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (2) के अनुसार रुपया १४६९-०० वार्षिक भू-भाटक को वर्ष २००३-२००४ से देय होगा। निर्धारण करते हुए संहिता की धारा 59 (5) के अन्तर्गत ९२३५/- रुपया प्रीमियम आरोपित किया जाता है।

4- अनावेदक द्वारा प्रश्नगत भू-खण्ड के संबंध में संहिता की धारा 172 (1) के अन्तर्गत विहित प्रति पूर्तिया न करने से अनुज्ञा की पात्रता नहीं पाई जाती है।



कृत्य प्रतिसिद्धि



नायब तहसीलदार
तहसील छतरपुर (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी
नायब तहसीलदार
छतरपुर (राज्य नं. २००४)
जिला छतरपुर (म.प्र.)